16 का शेष)

- 12. आरक्षित वर्ग के पदों यथा अजा/अजजा/अ.ि.व./दिव्यांगजन के लिए आवेदन करने वाले जम्मीदवारों के आवेदन पर निर्वारित प्राल्प में योग्य/शलम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रस्तुति किए जाने पर विचार किया जाएगा । प्रमाण पत्र में कम्युनिर्दा का उल्लेख स्वप्ट एवं
- 13. अन्य पिछडे वर्ग के लिए आरक्षित पर्दों के प्रति आवेदन करने वाले जम्मीदवारों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी अन्य पिछडे वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) का प्रभाण पत्र होना अनिवार्य है । यह प्रभाण पत्र भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निदेशों के अनसरण में चाल वित्तीय वर्ष के लिए होना चाहिए । आवेदक को यह सनिष्टिवत करना चाहिए कि वह अन्य पिछले वर्ग के समीदवारों की अहंता का आधार भारत सरकार की केन्द्रीय सुची में दर्ज जातियों (जाति) से सम्बद्ध है । अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार (उम्मीदवारी) की क्रीमी लेयर से सम्बद्ध नहीं होना चाहिए तथा उनकी उप-जाति अन्य पिछड़े वर्ग के केन्द्रीय सूची में की यई प्रविष्टि के अनुसार होनी चाहिए तथा ऐसा न होने की स्थिति में उन्हें आवेदन किए गए पद के प्रति आरक्षित वर्ग पर विचार नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमज़ीर वर्ग के प्रमाण पत्र पर विचार भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा ।
- 14. दिव्यांगजन कोटा के अंतर्गत सेवा / पदों के लिए आरक्षण की अईता केवल ऐसे व्यक्तियों के संबंध में स्वीकार्य होगी, जिनकी शारीरिक विकलांगहा 40% से कम नहीं है । आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छूक व्यक्तियों को निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- समीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व सभी अर्हता मायदंखों को पूरा करना सुनिश्चित कर लेना चाहिए । उनके पास भारत सरकार से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक अर्हता तथा अनुमव होना चाहिए । शैक्षणिक अर्हता तथा अनुमव भारत सरकार से मान्यता प्राप्त न होने की रिथति की जानकारी प्राप्त होने पर, उनकी उम्मीदवारी किसी भी चरण में रह की जा सकती हैं ।
- 18. अहंता एवं अनुभव:— सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में एमसीएच के समान सिर और गर्दन की सर्जरी में एमसीएच के समकक अहंता एवं हेपाटो-पॅक्रियाटिको-बिलियारी सर्जरी में एमसीएच के समान सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरीलॉजी में एमसीएच के समकक्ष अहंता और इसी तरह की अन्य अर्हता पर एन्स, मुवनेश्वर के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा ।
- 17. चयन प्रक्रिया के आंतर्गत शॉर्ट लिस्टिंग :- निर्धापित अर्हता न्यूनतम है तथा इसका मात्र धारण करने से ही किसी चम्मीदवार की पात्रता साक्षात्कार अथवा चयन के लिए बुलावा मेजने के लिए निश्चित नहीं करता है । बायो-डेटा के आधार पर चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए जम्मीदवारों को शार्टलिस्ट किया जा सकता है । किसी पद अथवा पदों के लिए काफी अधिक संख्या में उम्मीदवारों द्वारा आवेदन दिए जाने के मामले में आवश्यकता होने पर स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से जम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा । साक्षात्कार के लिए बुलाए गए जम्मीदवारों को अपने स्रावेदन में प्रस्तुत विवरण के प्रमाण के तौर पर सभी सम्बद्ध मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे । साक्षात्कार के समय जन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मुननेश्वर के निर्णयानुसार बचन पत्र/घोषणा प्रस्तुत करने के लिए भी कहा जा सकता है । चयन प्रक्रिया सं संबंधित अन्य किसी मामलों सहित चयन के लिए उचित समझी जाने वाली विधि का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा ।
- सामात्कार का स्थल: सामात्कारों का आयोजन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पुदनेश्वर अथवा निदेशक, अखिल नारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर द्वारा निर्णित अन्य किसी स्थल पर किया जाएगा । साक्षात्कार में सपस्थिति के लिए किसी प्रकार के बीए/टीए का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 19. आवेदन शुल्क 1000 /- रूपए (केवल रूपए एक हजार)
 - क. अनारवित, /अ.भि.च./ ईडबल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए 1000 / रूपए हैं । उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन मरते समय वेबसाइट में दिए गए लिंक पर वित्तक करके निर्धारित आवेदन सुत्क का भुगताम बॉनलाइन कर सकते हैं ।
 - छ. जमा किए गए आवेदन शुल्क की घनवापसी किसी भी स्थितियों में नहीं की जाएगी ।
 - ग. अजा / अजजा / दिव्यांगजनों / किसी भी समुदाय की महिलाओं द्वारा कोई शुल्क देय नहीं है ।
 - ध. निर्मारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया खाएगा तथा उन्हें तुरंत रद्द कर दिया जाएगा ।
- सरकारी सेवा (एम्स के कर्मचारियों सहित) में कार्यरत आवेदक को अपने वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र की प्रस्तृति सामात्कार के समय अथवा समय- समय पर दिए जाने वाले निदेशों के अनुसार करनी होगी । तथापि, पद पर आवेदन करने से पूर्व अपने नियोक्ता से पूर्वानुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है । किसी भी जन्मीदवार को नियोक्ता से प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र के बिना सक्षातकार की अनुसति नहीं दी जाएगी ।
- 21. एन्स, मुबनेश्वर (भेंटर इंस्टीट्यूट, एम्स, गुवाहाटी) का निर्णय अतिम है: एन्स, भुवनेश्वर का निर्णय पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या बस्वीकृति, झूठी सूचना के लिए दंह, घयन का तरीका, के लिए कार्यप्रणाली से संबंधित सभी मामलों में निर्णय चयनित उम्मीदवारों को पदों का चयन, चयन और आवंटन अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होता और इस संबंध में कोई पूछताछ / पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- 22. इस विज्ञापन अथवा इस भर्ती से संबंधित किसी अन्य सुखना से संबंधित शृद्धिपत्र / प्ररिवर्तन को जानकारी केवल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर कार्यालय की वेबसाइट पर ही विधिवत ऋप में अकाशित की जाएगी । जम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि से इससें संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें ।

जम्मीदवारों के लिए अन्य जानकारी

- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है ।
- संस्थान के तहत सेवा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित होती है ।
- संस्थान एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करता है जो लैंगिक समानता को दर्शाता है सथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए (111) प्रोत्साहित करता है ।
- (iv) सभी पदों के लिए गुवाहाटी, असम में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में समान सार के स्वीकार्य व्यावहारिक मंत्री लागू है ।
- परिवीक्षा अवधि: परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष है । (V)
- (VI) <u>मृल्यांकन पदोन्नित:</u> किसी संकाय द्वारा किसी ग्रेड में निर्धारित वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात उसे समय-समय पर लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसार मूल्यांकन पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है ।
- जिन चम्मीदवारों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक अपेक्षित अहंता प्राप्त नहीं है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा । (VIII)
- अपूर्ण आवेदन (आवेदनों को तुरंत रह कर दिया जाएगा) ऑतम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा । इस (VII) संबंध में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मुक्नेश्वर के सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।
- जहां कही अनुभद की अवधि लागू की गई है, वहां ऐसी अवधि का आकलन निर्धारित शैक्षणिक अर्हता की प्राप्ति के पश्चात से किया जाएगा । (ix)
- संस्थान के कर्मचारियों का संचालन वित्त मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग (ईसीबी एंड पीआर प्रमाग) की दिनांक 22.12.2003 की सूचना संख्या 5/7/2003-ईसीबीएंडपीआर में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत नई पेंशन योजना के अनुसार किया जाएगा । तथापि, संकाय के पदों के लिए चयन किए जाने वाले विद्यमान सरकारी कर्मचारियों की वेतन सुरक्षा तथा पूर्व सेवाओं की निरंतरता पर पूर्णतः नियमों के अंतर्गत विचार किया जाएगा ।
- <u>बॉनलाइन आवेदन जमा करने की संतिम तिथि:</u> ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की संतिम तिथि एम्प्लॉयमेंट न्यूज / रोजुगार समाचार में (XI) विकापन के प्रकाशन तिथि से 30 दिन तक है ।
- (XII) ये पद पूर्णकालिक हैं तथा किसी भी प्रकार की प्राइदेट प्रैविटस प्रतिबंधित है ।
- (XIII) जम्मीदवारों को संस्थान द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यथा लागू अवधि के लिए संस्थान से संबद्ध किसी ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों तथा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा संस्थान से सम्बद्ध अन्य केन्द्रों में तैनात किया जा सकता है ।
- (XIV) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को रिक्तियों में बढ़ोतरी करने अथवा कमी करने का सुरक्षित अधिकार प्राप्त है ।
- (XV) संस्थान में नियुक्त किए जाने वाले संकाय को आवास समलब्ध करवाने के प्रत्येक संगद प्रयास किए जाएंगे परंतु प्रत्येक मामले में ऐसा कैन्पस में आवास की कमी को ध्यान में रखते हुए संभव नहीं भी हो सकता है । यदि किसी स्थिति में कोई आवास उपलब्ध नहीं करराया जाता है तो गुवाहाटी, असम में समान स्तर के केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जाएगा ।
- (XVI) किसी भी प्रकार से प्रभाव ढलवाने को अयोग्यता माना जाएगा ।
- (XVII) उम्मीदवार को किसी न्यायिक न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं होना चाहिए ।
- (XVIII) उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत कोई सूचना अथवा घोषणा मिथ्या पाए जाने के मामले में अथवा चम्मीदवार द्वारा नियुक्ति से सम्बद्ध कोई सामग्रीगत सूचना जानबूझकर िष्पाए जाने की स्थिति में उसे सेवा से हटाया जा सकता है तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके खिलाफ उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जा सकती है ।
- (XIX) सक्षम प्राधिकारी को कोई कारण बताए बिना अथवा कोई नोटिस दिए बिना, इस विज्ञायन में पूर्ण अथवा आंशिक रूप में किसी प्रकार का संशोधन करने, रद्द करने तथा परिवर्तन का सुरक्षित अधिकार प्राप्त है ।
- (XX) साक्षारकार, दस्तावेजों के सत्यापन तथा चयन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय सभी जम्मीदवारों के लिए आंतिम एवं बाव्यकारी होगा । इसके संबंध में किसी भी प्रतिवेदन / पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा ।

रो.स. 30/61

(XXI) प्रत्येक प्रकार के विवादों का न्यायाधिकार क्षेत्र गुवाहाटी, असम में रियत विधि न्यायालय होगा ।

स्पष्टीकरण तथा पृष्ठताछ :

मेल ; facrecruitment@ailmsbhubaneswar.edu.in संपर्क सं : 0674-2476255 (02:30 PM to 05:00 PM)

निदेशक/Director एम्स, मुजनेश्वर/AllMS, Bhubaneswar (Mentor Institute)/(मेंटर इंस्टीट्यूट)

भारत सरकार Government of India गृह मंत्रालय

Ministry of Home Affairs

महानिदेशालय सशस्त्र सीमा बल

Directorate General Sashastra Seema Bal

पूर्वी खंड-5, रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली-66

जाने के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक - ए, प्रति संलग्न) में आबेदन

East Block-V, R.K. Puram, New Delhi-66

सं. 315/आरसी/एसएसबी/एटीबीटी./2019/2996

दिनांक 11/10/2021

विजापन सशस्त्र सीमा बल में प्रतिनियुक्ति / पुनः रोज़गार आधार पर नीचे दी गई पात्रता शर्तो के अनुसार एसआई (आर्मर) ग्रुप - बी' अराजपत्रित, (अलिपिकीय) युद्धक पदीं को भरे

पद, वेतनमान और रिक्तियों की संख्या :

यद : एसआई (आर्मर)

पे मैद्रिक्स में लेवल : लेवल 6 (35400 - 112400 रुपए)

पदों की संख्या : 22

आप्रतित हैं -

पात्रता शर्ते : प्रतिनियक्ति :

केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेश के पुलिस संगठनों के अधिकारी जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करते हैं :-

चोट 1: फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति क्षग्र नियुक्ति हेतु विचारार्थं पात्र नहीं होंगे.

नीट 2: समान अथवा केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियंक्त से शीघ्र पहले धारित किसी अन्य पूर्व संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्य रूप से प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

नोट 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा आवेदन प्राप्ति की अतिम तिथि पर 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी

पुनः रोज्गार : पूर्व-सैनिकों के लिए पुनः रोजगार, जिन्होंने सशस्त्र बलों में समान अथवा समकक्ष दर्जे वाले पद पर काम किया है.

सरास्त्र बलों के कार्मिक जो 1 वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं अथवा रिजर्व के लिए स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और आवश्यक अनुभव तथा उद्घिखित योग्यता धारण करते हैं, वे भी प्रतिनियुक्ति हेतु विचार किए जाएंगे. ऐसे व्यक्ति को सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त होने की तिथि तक प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल भी दिया जाएगा. इसके बाद वे पुनः रोजगार पर अपनी सेवा जारी रख सकते हैं.


- 2. इच्छुक और पात्र अधिकारियों के आवेदनों को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक ए) में, प्रतिलिपि में, 'रोजगार समाचार' में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर कमांडेंट (कार्मिक - ॥), महानिदेशालय, सशस्त्र सीमा बल, पर्वी खंड-V, आर. के. पुरम, नई दिल्ली - 110066 के पते पर अग्रेषित करें.
- 3. अधूरे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किए गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा. उपयुंक्त पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं होगी.
- 4. सक्षम अधिकारी के पास बिना कारण बताए रिक्तियों की संख्या घटाने/बढ़ाने, पूरी तरह अथवा आंशिक तौर पर विज्ञापन को रह करने का अधिकार सुरक्षित है.
- प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, प्रतिनियुक्त व्यक्ति एसएसवी अधिनयम और नियमावली तथा एसएसबी द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के द्वारा नियंत्रित होंगे. जिसके लिए चयनित उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक 'विकल्प' का प्रयोग किया जाएगा.
- 6. विज्ञापन एसएसवी की चेबसाइट www.ssbrectt.gov.in और www.ssb.gov. in पर भी उपलब्ध है.

कमांडेंट (भर्ती) एफएचक्यू एसएसबी, नई दिल्ली रो.स. 30/53

डीएबीपी 19110/11/0058/2122



प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान Institute for Plasma Research



Web: www.ipr.res.in शृद्धिपत्रक

Corrigendum

Ref: Advt. No. 07/2021 dated 14/10/2021

आंशिक संशोधन में/ In partial modification :

'ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 08 नवम्बर, 2021 से बदलकर 15 नवम्बर, 2021 तक की गई है''. "The last date of online submission of application is changed from November 08, 2021 to November 15, 2021."

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ Chief Administrative Officer

रो.स. 30/74

भारत सरकार,

Government of India,

गृह मंत्रालय,

Ministry of Home Affairs, महानिदेशालय सशस्त्र सीमा बल,

Directorate General, Sashastra Seema Bal, पूर्वी खण्ड-5 रामा कृष्णा पूरम नई दिल्ली-66,

East Block-V, R.K. Puram, New Delhi-66,

No.315/RC/SSB/Advt./2019/2996

Dated 11/10/2021

ADVERTISEMENT

Applications are invited in the prescribed proforma (Annexure-A, copy enclosed) from eligible candidates for filling up the post of SI(Armr) Group-'B' Non Gazetted, (Non-Ministerial) Combatised posts in Sashastra Seema Bal on Deputation/re-employment basis, as per the eligibility criteria given below:-

Post, Pay Scale	imployment basis, as per the engionity enteria given below.					
and number of						
vacancies						
Post:- SI (Armr)	Deputation:-					
	Officers of the Central Government or State Government or Union					
Level in the Pay	Territory Police Organizations holding analogous posts on regular basis in					
matrix:- Level 6	the parent cadre or department:-					
(Rs. 35400-	Nate 1. The departmental condidates in the feeder estagency who are in the					
112400/-)	Note-1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for					
No. of post:- 22	appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.					
	Note-2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.					
	Note-3: The upper age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty two years as on the closing date of receipt of application.					
	Re-employment:- Re-employment of ex-servicemen who have held the same or equivalent rank in Armed Forces.					
	The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, shall also be considered for deputation. Such person would also be given deputation term up to the date on which they are due for release from Armed forces. Thereafter, they may be continued on re-employment.					

- Applications of willing and eligible officers may please be forwarded in the prescribed format (Annexure-A), in duplicate to the Commandant (Pers-II), Directorate General, Sashsastra Seema Bal, East Block-V, R K Puram, New Delhi-110066 within 60 days from the date of publication of this advertisement in the 'Employment News'.
- Incomplete applications will not be entertained. Applications received after closing date will not be accepted. Candidate, who are selected for the above post, will not be permitted to withdraw their name after selection.
- The competent authority reserves the right for any amendment like curtailment / 4. enhancement of vacancies, cancellation of the advertisement in whole or part thereof without assigning any reason.
- During the period of deputation, the deputationist will be governed by SSB Act & 5. Rules and other instructions issued from time to time by SSB for which necessary "option" will have to be exercised by the selected candidates.
- The advertisement is also available on SSB website www.ssbrectt.gov.in and 6. www.ssb.gov.in

11/x/2021 ommandant (Rectt.)

FHQ SSB New Delhi

17.	Remarks
Date:-	Signature of the candidate
Telepho	one/Mobile. No.:-
Email I	D:-
Residen	tial address:-
	CERTIFICATE
of orga	It is to certify that I, Rank
	Signature

PART-B

Certificate/information to be given by the Head of Office/Employer of the applicant

- It is certified that the particulars furnished by the Officer in Part-A, are correct as per the service records.
- 2. It is certified that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the officer and he/she is clear from the vigilance angle.
- 3. His/her integrity is certified.
- 4. It is certified that no major or minor penalties have been imposed on the officer during the last 10 years.
- 5. It is certified that Officer is medically SHAPE-1.

Whether belongs to SC/ST/OBC

16.

6. APAR gradings for last 05 years in respect of the officer are as under:-

APAR gradings for last five years							
Name of the Officer	2015-16	2016-17	201718	2018-19	2019-20		
	. 10						

7. The Officer will be relieved from his duties to take up assignment in SSB on his/her selection in SSB on deputation basis.

Head of Office/Employer With seal

PART-A

APPLICATION FORM FOR THE POST OF SUB INSPECTOR (ARMOURER)

1.	Name (in block letter)	:-
2.	Rank	ţ-
3. •	Name of the Office/Department/ Ministry where working (in block letter)	:-
4.	Date of birth (in Christian era)	:-
5.	Date of appointment in Government Service (in Christian era)	:-
6.	Date of retirement under Central/ State Government rules (in Christian era)	á -
7.	Medical category with Medical certificate	:-
8.	Present Pay Scale with Pay Level	:-
9.	Educational Qualifications(with certificate)	:-
10.	Date of promotion in present rank	:-
11.	Experience with experience Certificate	:-
12.	Nature of present employment, (Whether ad-hoc or temporary or permanent)	1-
		1

13. Details of employment, in chronological order (Enclose a separate sheet, duly authenticated by candidate's signature, if the space below is insufficient).

Name of Organization/ Office	Post held	From	То	Level in the pay matrix	Nature of duties
	•		·		

- 14. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.
- 15. Please state clearly whether in the light of entries made by you, you meet the requirement of the post.